

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil First Appeal No. 969/2018

8.3.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अनूप दण्ड
प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री युनूस खान

सुना गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2/1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री युनूस खान द्वारा प्रकट किया गया कि उक्त प्रत्यर्थीगण की ओर से उनके द्वारा वकालतनामा पेश किया जा चुका है तथा वे उक्त प्रत्यर्थीगण की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। अतः प्रत्यर्थीगण संख्या 2/1 व 4 की तामील पूर्ण मानी जाती है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे शेष प्रत्यर्थीगण के क्रम में एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश किए जाने पर आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति